“नियंत्रण और संतुलन की संवैधानिक योजना का सुदृढ़ीकरण” – विषय पर

भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
श्री अशोक गहलोत
का
उद्घाटन भाषण

शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2011
जयपुर

माननीय अध्यक्ष लोकसभा,
माननीय उप सभापति, राज्यसभा,
माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा,
राज्य विधान मण्डलों के सम्माननीय अध्यक्षगण
और अन्य सभी सम्माननीय प्रतिनिधिगण!

- मैं सबसे पहले श्रीमती मीरा कुमार जी, अध्यक्ष लोकसभा एवं आप सभी पीठासीन अधिकारियों का राजस्थान की इस धरती पर इस संगोष्ठी में पधारने पर हार्दिक स्वागत व अभिनन्दन करता हूँ।
- विधानमण्डल के पीठासीन अधिकारियों की इस संगोष्ठी में आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण संगोष्ठी हमारे प्रदेश की राजधानी जयपुर में होने जा रही है।
- राजस्थान वीरों और दानवीरों की धरती है। राजस्थान के बहादुर जवान देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए हर प्रकार का त्याग और बलिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें तथा कारगिल के संघर्ष से लेकर अब तक निरन्तर आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद आदि हर स्थिति में प्रदेश के सैनिक अधिकारियों एवं जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा की है। हमारे अनेक जवानों ने शहादत देकर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। यहां तक कि संसद भवन की सुरक्षा करते हुए राजस्थान का जांबाज जगदीश यादव शहीद हो गया।
- जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान का निर्माण 22 देशी रियासतों के विलय के बाद 30 मार्च, 1949 को हुआ लेकिन, प्रथम विधानसभा 1952 में हुए चुनावों के बाद ही अस्तित्व में आई। राजस्थान विधान सभा में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में प्रारंभ से

ही सद्भाव बना रहा है। राष्ट्रीय एवं राज्य हित के मुद्दों पर पूरा सदन एकमत होकर फैसले करता रहा है। इस विधानसभा में पक्ष और प्रतिपक्ष तो हमेशा रहा किन्तु विरोधी कोई नहीं रहा।

- पिछले कुछ वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बदलते हुए प्रोफाइल के साथ आज एक रचनात्मक फोरम के रूप में उभर चुका है।
- विधायी निकायों के बदलते हुए प्रोफाइल के साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा के कारण संगोष्ठी की विषय वस्तु का दायरा भी बढ़ रहा है। पूर्व में आयोजित ऐसी संगोष्ठियों में हुई चर्चाएं विधायी कार्यों के संपादन में मार्गदर्शक साबित हुई हैं। **इस संगोष्ठी में 'चैक्स एण्ड बैलेन्सेज' विषय पर होने वाले विचार–विमर्श निश्चय ही संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कारगर साबित होंगे, ऐसी मुझे आशा है।**
- यह संगोष्ठियां न केवल हमें एक–दूसरे के अनुभवों को जानने का अवसर प्रदान करती हैं बल्कि जनहित में संवैधानिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं।
- ऐसी संगोष्ठियां एक मजबूत लोकतांत्रिक परम्परा तथा संसदीय प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं।
- भारत के संसदीय लोकतंत्र में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों की प्रमुख भूमिका है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जन भावनाओं के प्रतीक भी हैं।
- आम आदमी के हितों की रक्षा करने में हमारी सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका है। इसलिए आपकी इन संगोष्ठियों में जो विचार–विमर्श होते हैं उनका संसदीय परम्पराओं की स्थापना और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से काफी महत्व है।

- जयपुर में आयोजित इस संगोष्ठी के लिए **'चैक्स एण्ड बैलेन्सेज'** का जो विषय चुना गया है वह संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला है तथा लोकतांत्रिक शक्ति का परिचायक है।
- माननीय अध्यक्ष लोक सभा ने संगोष्ठी के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इसलिए मैं विषय की गहराई में नहीं जाते हुए कहना चाहूंगा कि हमारा संविधान नियंत्रण और संतुलन के सिद्धान्त के कारण हर कसौटी पर खरा उतरा है और विश्व जनमत को यह संदेश देने में सफल रहा है कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें काफी मजबूत हैं।
- हमारे लोकतांत्रिक अनुभव ने हमें यह सिखाया है कि हमारे विधायी निकायों **(Legislative Bodies)** में होने वाली चर्चाओं और बहस का संसदीय लोकतंत्र में विशेष महत्व है। इस महत्व को रेखांकित करते हुए डॉ. एस. राधाकृष्णन ने कहा था – 'विधायी निकाय लोकतंत्र के नैतिक स्वरूप का परिचायक हैं। माननीय सदस्यों को हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए कि जो बात वह कह रहे हैं वही सही है। हम भी गलत हो सकते हैं और कई बार प्रतिपक्ष भी सही हो सकता है। हमारे में एक–दूसरे के विचारों को आदर के साथ सुनने की क्षमता और संयम होना चाहिए। लोकतंत्र और हिंसक व्यवहार दोनों साथ–साथ नहीं चल सकते।'
- सदन के पटल पर हम अपनी बात को कैसे और किस प्रकार व्यक्त करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सुनने वालों पर विशेष असर पड़ता है। जब तक माननीय सदस्य खुद अपनी ही बात से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वह दूसरों को संतुष्ट नहीं कर पायेंगे।
- **विगत कुछ समय से विधायी निकायों के काम–काज में कई तरह की चुनौतियां उत्पन्न हुई किन्तु आपने अपनी व्यवहार कुशलता से सदन का बखूबी संचालन किया है।** आपको पीठासीन अधिकारी

की गरिमा का ख्याल रखते हुए फैसले करने पड़ते हैं। आप जिस भूमिका को निभा रहे हैं वह अपने आप में एक बड़ी सफलता है।

- इस बात से सभी परिचित हैं कि भारतीय संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान सभा ने लम्बे विचार–विमर्श और बहस के बाद 26 जनवरी, 1950 को इसे अंगीकार किया। हमारे संविधान में शासन करने के लिए सभी तीनों अंगों को पूरी स्वायत्तता दी गई है।
- स्पष्ट है कि विधायिका संविधान की मूल भावना के अनुरूप जन कल्याण के लिए नीति निर्णय और विधि निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका उन नीतियों को तत्परता से लागू करती है एवं न्यायपालिका संवैधानिक दायरे में उन सभी विधियों एवं नियमों की संविधान सम्मत व्याख्या करती है।
- इस प्रकार भारत के संविधान में की गई व्यवस्था के अनुरूप ही ये तीनों अंग पूरी दक्षता और आजादी से कार्य कर रहे हैं। हम सब भली–भांति जानते हैं कि भारतीय संविधान अनेक चुनौतियों के बावजूद समय की कसौटी पर खरा उतरा है। पूरे विश्व में इसकी प्रतिष्ठा बनी हुई है।
- हम सभी जानते हैं कि संविधान लागू होते ही भूमि सुधारों के लिए न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों की इस तरह से विवेचना की गई कि मूलभूत अधिकारों में संसद द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसके बाद अस्थाई संसद द्वारा ही वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन पेश किया गया जिसमें संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया तथा संविधान में नौवीं अनुसूची शामिल की गई। इस अनुसूची में यह सुनिश्चित किया गया कि जो भी कानून नौवीं अनुसूची में शामिल किये जायेंगे वे सभी कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे। उक्त संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम राज्य के प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक ठहराया गया।

- हमारे देश की यह खूबी रही है कि जब भी तीनों अंगों में कभी कोई टकराव की स्थिति आई तो उसका समाधान कर लिया गया। आज छः दशकों बाद भी लोकतंत्र के तीनों पाये **(Pillars)** मोटे तौर पर अपने–अपने क्षेत्र में कामयाब रहे हैं। इस तरह शुरुआत से ही लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई जिसका पूरी दुनिया लोहा मानती है।
- सातवें संशोधन को भी, सज्जन सिंह बनाम स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक ठहराया, किन्तु वर्ष 1967 में गोलकनाथ के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसलों के विपरीत यह व्यवस्था दी कि संसद को मूलभूत अधिकारों में हस्तक्षेप **(Interference)** का अधिकार नहीं है। इसी कारण 24वां संविधान संशोधन पारित करना पड़ा जिसे केशवानन्द भारती बनाम राज्य के प्रकरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक ठहराया गया।
- ये सभी बातें दर्शाती हैं कि हमारे यहां **चैक्स एण्ड बैलेंसेज सिस्टम** प्रारंभ से ही मौजूद रहा है।
- यह विदित है कि भारतीय संविधान में अब तक लगभग 94 संशोधन हो चुके हैं। इनमें अधिकांश संशोधन न्यायिक फैसलों की व्याख्या और संसद के अधिकार क्षेत्र को लेकर हुए विवादों के समाधान से जुड़े हुए हैं।
- वस्तुतः, संविधान द्वारा अपनाये गये तीनों अंगों को अपने–अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण आजादी हासिल है। यहां सर्वोच्च कोई नहीं है, देश का संविधान ही सर्वोच्च है। चूंकि संविधान के प्रावधानों में संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति प्राप्त है इसलिए, परोक्ष रूप से संसद सर्वोच्च है, क्योंकि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद ही जनता की वास्तविक प्रतिनिधि संस्था है।

किन्तु, इसका अर्थ यह नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा बनाये गये कानून की समीक्षा नहीं कर सकता।

- संवैधानिक दायरे में विधायी कार्य करना संसद और विधानमण्डलों का दायित्व है। जैसा हम सभी जानते हैं, कि संविधान की तीन सूचियों में केन्द्रीय सूची **(Union List)** के विषयों पर सिर्फ केन्द्र कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं और समवर्ती सूची **(Concurrent List)** के विषयों पर केन्द्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
- जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं हैं, उस पर केन्द्र कानून बना सकता है। इस प्रकार संविधान सभा द्वारा प्रत्येक के लिए कार्य क्षेत्र तय किया हुआ है।
- इसी क्रम में संघीय ढांचे की चर्चा भी प्रासंगिक है। संघीय ढ़ांचा हमारे संविधान का प्रमुख आकर्षण है, जिसके तहत एक मजबूत केन्द्र की व्यवस्था की गई है। संघीय ढांचे में केन्द्र और राज्य एक–दूसरे के परस्पर सहयोगी की भूमिका में हैं और दोनों को अपने–अपने क्षेत्रों में आजादी प्राप्त है और साथ ही अपनी–अपनी शक्तियों का प्रयोग आदर और आपसी समन्वय के साथ करते रहे हैं।
- इस प्रकार, हालांकि केन्द्र और राज्यों के बीच कई बार आपसी हितों के टकराव के मामले सामने आये लेकिन, संघीय ढांचे को सामने रखकर समाधान भी संभव हुए हैं। केन्द्र और राज्यों के बीच अनेक बार कई मुद्दों पर आपसी तनाव और विवाद की भी स्थिति बन जाती है किन्तु इनका कोई न कोई हल भी निकल आता है।
- इन विवादों और हितों के टकराव की रोकथाम के लिए संघीय व्यवस्था के तहत केन्द्र को मजबूत बनाने की बात कही गई है। मजबूत केन्द्र के बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने भी जोर दिया था। संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि हमारी

सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विविधता के कारण विषमताएं हो सकती हैं, **इसके बावजूद 'अनेकता में एकता' सुनिश्चित रहनी चाहिए।**

- आजादी के साथ ही हमने आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र में क्रांति लाने एवं भारतीय समाज के नव निर्माण का संकल्प लिया था।
- इन्ही विचारों और प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत केन्द्र के साथ भारतीय संघ की स्थापना की। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक फैसलों में यह स्वीकार किया गया कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संघीय ढांचे के साथ हमें मजबूत केन्द्र दिया है ताकि हमारे देश की एकता और अखण्डता के सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। सरकारिया आयोग ने भी संविधान की इसी संघीय आत्मा पर जोर दिया है।
- राज्यों के बीच नदी जल विवादों और अन्य विषयों को लेकर इनके समाधान हेतु केन्द्र से आशा की जाती है। संघीय ढांचे की भावनाओं के अनुरूप अन्तर–राज्य विवादों **(Inter-State Disputes)** को केन्द्र द्वारा निपटाया जाता है, जिसे संघीय ढांचे को चुनौती के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस विषय में केन्द्र की यूपीए सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम **(Minimum Common Programme)** में इस प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की नये सिरे से समीक्षा हेतु जस्टिस मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था।
- इस प्रकार संवैधानिक व्यवस्था में नियंत्रण और सन्तुलन **(Checks and Balances)** की पुख्ता व्यवस्था की गई है। बदलती हुई परिस्थितियों और जन आकांक्षाओं की पूर्ति, समावेशित विकास **(Inclusive Growth),** आम आदमी का सशक्तिकरण तथा कमजोर को सम्बल प्रदान करने के लिए नियंत्रण और

संतुलन को और अधिक मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त **(Doctrine of Separation of Powers)** के अनुरूप नियंत्रण एवं सन्तुलन आज की व्यावहारिक आवश्यकता है।

- यह सिद्धान्त संवैधानिक संस्थाओं के सन्तुलन और नियंत्रण को मजबूत करता है। किन्तु इसके साथ हमें यह भी देखना होगा कि यह व्यवस्था समुचित रूप से कार्य कर रही है या नहीं एवं इसमें शक्तियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या नये सैफगार्डस् **(Safeguards)** बनाये जा सकते हैं।
- संसदीय परम्परा में हमारे पीठासीन अधिकारी भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही होते हैं। लोकतंत्र में सभी जनप्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पीठासीन अधिकारियों को व्यापक दृष्टि या परिप्रेक्ष्य में और संविधान के नियमों और प्रक्रियाओं के भीतर ही अपने सामने उपस्थित प्रश्नों के हल ढूंढ़ने होते हैं। जब वे पीठासीन होते हैं तो वहां दलीय नीतियां और विचारों की बजाय संविधान सम्मत तर्कों और संसदीय परम्पराओं के अन्तर्गत ही निर्णय लेने होते हैं।
- पीठासीन अधिकारियों के चयन में चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी सुदीर्घ जनसेवा और अनुभवों को ही आधार माना जाता है। इस दृष्टि से अब तक के अनुभव सकारात्मक ही सिद्ध हुए हैं। यह संसदीय परम्परा स्वस्थ और मजबूत बनी रहनी चाहिए, यही लोकतंत्र की भावना है।
- मुझे 5 बार लोकसभा में अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के नाते और केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य के नाते प्रतिनिधित्व करने का सुअवसर मिला। इसी प्रकार दो बार **राजस्थान विधानसभा में** सदन के नेता के रूप में प्रतिनिधित्व का अवसर मिल रहा है। मैंने यह अनुभव किया है कि दोनों स्तरों पर पीठासीन अधिकारी अपनी

संसदीय परम्पराओं के पालन में सदन के संचालन और विधायी प्रक्रियाओं के अनुसरण में प्रतिबद्ध रहे हैं। हमारे लोकतंत्र के प्रति जनता में जो आस्था बनी हुई है या विदेशों में इसके प्रति जो सम्मान कायम है तो इसका श्रेय पीठासीन अधिकारियों को भी जाता है। यह श्रेय इसलिए भी जाता है कि ''नियंत्रण और संतुलन'' की संवैधानिक व्यवस्था के प्रति वे सदैव जागरूक रहे हैं।

- संसद का कोई भी सदन हो, विधानमंडल या विधानसभा का सदन हो, यदि पीठासीन अधिकारी एवं माननीय सदस्यगण अपनी परम्पराओं, कार्य प्रणाली, वाद–विवाद के स्तर, बहस के लिए जनहित के महत्वपूर्ण विषयों के चयन और उस पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं तो लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा कायम रहने के साथ उसे मजबूती भी मिलती है। कुछ ऐसे भी अवसर आते हैं जब सदन का काम ठप्प हो जाता है। ऐसे में हम कहीं अपने देश या प्रदेश की जनता द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्व से भटकते हुए लगते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि केवल चुनाव प्रक्रिया ही लोकतंत्र नहीं है बल्कि निर्वाचन के बाद हम असली लोकतंत्र की कसौटी पर होते हैं।
- जिस प्रकार किसी भी मंत्रिपरिषद का निर्णय सामूहिक उत्तरदायित्व का हिस्सा होता है उसी प्रकार विधानसभा, विधानमंडल या संसद का फैसला भी सामूहिक उत्तरदायित्व **(Collective Responsibility)** है। इस भावना के साथ किया गया आचरण कभी भी नियंत्रण और संतुलन की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर नहीं होने देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस भावना को मजबूत बनाने से ही लोकतंत्र **और अधिक** ताकतवर होगा एवं उसके प्रति जन आस्था और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
- आसन में निहित शक्तियां भी कोई कम नहीं होती। आसन के निर्देश समाज के व्यापक हित में होते हैं और उनकी पालना

सुनिश्चित करने से माननीय सदन का सम्मान भी बढ़ता है। इन अधिकारों का प्रयोग करते समय नियंत्रण एवं संतुलन की संवैधानिक व्यवस्था को बनाये रखना सुनिश्चित करना होता है।

- संसद या विधानसभा के सदनों को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है और इस लिहाज से उनका सम्मान बनाये रखना सदन का परम दायित्व है। यह दायित्व सदस्यगण अपने आचरण, अपने होम वर्क, महत्वपूर्ण विषयों के चयन और आधार सम्मत तर्क और विधायी मर्यादाओं के अनुरूप व्यक्त विचारों के आधार पर निभा सकते हैं, निभा रहे हैं और इसे निभाते रहने की आवश्यकता हमेशा रहेगी। देश की संसद और विधानसभा अध्यक्ष के पदों पर अब तक रहने वाले महानुभावों ने न केवल संसदीय गरिमा को बढ़ाया है अपितु उसे और अधिक मजबूत करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी भूमिका से नये आदर्श और आयाम स्थापित किये। मैं आने वाले वक्त में भी इसी परम्परा के निर्वहन के प्रति आशान्वित हूं।
- अंत में, मैं इस मौके पर यहां पधारे आप सभी महानुभावों का एक बार फिर हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और इस संगोष्ठी के उद्घाटन का अवसर देने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद। जयहिन्द ।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

CONFERENCE OF PRESIDING OFFICERS OF LEGISLATIVES BODIES IN INDIA, 2011

JAIPUR

SYMPOSIUM

ON

STRENGTHENING CONSTITUTIONAL SCHEME OF CHECKS AND BALANCES

INAUGURAL SPEECH OF

HONOURABLE CHIEF MINISTER OF RAJASTHAN

SHRI ASHOK GEHLOT

FRIDAY, 23 SEPTEMBER, 2011

Hon’ble Speaker Lok Sabha,

Hon’ble Dy.Chairman Rajya Sabha,

Hon’ble Speaker Rajasthan Legislative Assembly,

Hon’ble Presiding Officers of State Legislative Bodies

& all other Hon’ble delegates.

- I extend a hearty welcome to the Hon’ble Speaker, Lok Sabha Smt.Meira Kumarji and all the Presiding Officers on the land of Rajasthan.

- I am extremely pleased to be amongst you at the Symposium of Presiding Officers of the Legislative Bodies in India. It is a matter of great pride for us that such an important Conference is being organized in Jaipur, the capital of our State.

- Rajasthan is the land of heroes and munificent people. The brave soldiers of Rajasthan have always been ready to sacrifice their lives to protect the country’s borders. The Military Officers and the Jawans of the State had sacrificed their lives in all the wars fought so far including the Kargil War and in all situations be it fighting against terrorism, naxalites and insurgency. Our Jawans have made Rajasthan proud through

their martyrdom. While protecting the Parliament, the brave son of Rajasthan Jagdish Yadav achieved martyrdom.

- As you know Rajasthan was formed after the merger of 22 Princely States on 30th March, 1949. But the first Legislative Assembly came into existence after the elections of 1952. The relations between the ruling and the opposition parties in Rajasthan Legislative Assembly have remained cordial from the very beginning. The House has taken decisions through consensus on matters of national and state interest. There has always been treasury bench and opposition but no ill-will between them.

- The Conference of Presiding Officers of the Legislative Bodies in India held every year has emerged as a powerful and constructive forum with the changing profile in the last few years.

- With the changing profile of Legislative Bodies and discussions on different subjects, the framework of the subject matter of the symposium has also been extended. Such symposiums organized earlier have proved to be torch bearers in establishing sound legislative practices. I hope that the discussions on the subject **checks and balances** in the

Conference would certainly prove to be effective in strengthening the constitutional system.

- Such symposiums not only provide us an opportunity to know each other's experiences but also augment our knowledge for further strengthening the constitutional system in public interest.

- Such Conferences also pave the way for a strong democratic tradition and for bringing uniformity in parliamentary practices.

- The Presiding Officers of Legislative Bodies have an important role in the parliamentary democracy in India. We are the representatives of the people and also the symbol of people’s aspirations.

- We have a positive and constructive role in protecting the interest of common man. That is why whatever discussions are held in these conferences, they are very important from the view point of setting up parliamentary traditions and strengthening of the constitutional system.

- The subject **checks and balances,** which has been selected for this symposium in Jaipur is the foundation of our parliamentary democracy and the symbol of democratic rights.

- The Hon’ble Speaker Lok Sabha has highlighted in detail the subject of the symposium, so without going into the depth of the subject, I would only say that the Indian Constitution has stood the test of time because of the doctrine of **checks and balances** and it has been successful in giving a message to the world that the roots of democracy are very strong in India.

- Our democratic experience has taught us that the discussions and debates held in our legislative bodies have a special significance in the parliamentary democracy. Outlining their significance Dr. S. Radha Krishnan had said "**Legislative Bodies** are the symbol of moral character of democracy. The Hon’ble Members should never think that what they are saying is always correct. We could be wrong also and many times opposition may be right. We should have respect for each other's views and should also have the patience and capacity to listen to each other. Democracy and violent action are inconsistent with each other."

- It is very important that how we put and express our point of view on the floor of the House because it has a great impact on listeners. Unless our Hon’ble Members are convinced with their own point of view, they cannot convince others.

- Over the time, Many types of challenges have surfaced while carrying out the work of legislative bodies, Despite it, you conducted the house effectively and ably. You have to take decisions keeping in mind the dignity of Presiding Officers. The role which you are performing is a big success in itself.

- We all know that the Indian Constitution is one of the best constitutions of the world. The Indian Constituent Assembly adopted this constitution on 26 January, 1950 after long discussions and debates. The Indian Constitution has stood the test of time. Full autonomy has been given to all organs of governance in our Constitution.

- It is clear that Legislature performs the role of policy decision and law making according to the basic spirit of the constitution, executive implements those policies with promptness and the judiciary interprets all these laws and rules in accordance with the Constitution.

- As per the arrangements made in the Constitution of India all these three organs are working effectively and independently. We all know very well that despite many challenges, our Indian Constitution has stood the test of time. It enjoys a great reputation in the whole world.

- We all know that soon after the Indian Constitution came into force, the courts had interpreted fundamental rights for land reforms in such a way that Parliament cannot interfere in fundamental rights of citizens. As a result of this, the temporary parliament presented the first constitutional amendment in the year 1951 in which the Parliament was given the right to amend the fundamental rights. Along with it, the Ninth Schedule was included in the Constitution in which it was ensured that whatever law which will be included in the Ninth Schedule would be outside the judicial review. This amendment was held constitutional by Hon'ble Supreme Court in the Shankari Prasad Vs State case.

- It has been a salient feature of our country that whenever a situation of confrontation occurred between the three organs of the government, the same was resolved amicably. Today after six decades, the three pillars of democracy are broadly successful in their respective fields. In this way the roots of democracy have been strengthened from the very beginning and the whole world recognizes this fact.

- The 7th Amendment was also challenged in the Supreme Court in the Sajjan Singh Vs State case which was also held constitutional by the Hon'ble Supreme Court but in the year

1967 in Golak Nath case the Supreme Court reversed its earlier decision and gave the ruling that the Parliament had no right of interference in the fundamental rights. The 24th Constitution Amendment had to be made because of this ruling which was held constitutional by the Supreme Court in the Keswanand Bharti Vs State case.

- These developments show that the system of **checks and balances** had been there in our system from the beginning.

- It is known that 94 Amendments have been made in the Constitution of India so far. Most of these amendments are associated with the revision of judicial interpretation and resolution of disputes related to the jurisdiction of parliament.

- In fact all the three organs adopted by the constitution have complete freedom to work in their jurisdiction. Nobody is supreme. Only the country's constitution is supreme. Since parliament has got the right to amend the constitution under the provisions of the constitution, therefore, Parliament is supreme indirectly because it can amend the constitution and it is the real representative of the people. But it does not mean that the Supreme Court cannot review the laws made by the Parliament.

- Under the constitutional framework, Legislative work is the responsibility of Parliament and Legislative Bodies. As we all know that in the three lists mentioned in the constitution, the Central Government can only make laws on the subjects of the union list, the State Government can make laws on the subjects of the state list, while on the subjects of the concurrent list both the center and the state government can make laws.

- The subjects which are not mentioned in these lists, the center can make laws on those subjects. In this way the Constituent Assembly has fixed the area of operation for everyone in their respective fields.

- It is also relevant to discuss the federal structure in this context. The Federal Structure is the main attraction of our constitution under which a strong center has been provided. Center and State are mutually cooperative and coordinated organs and both have freedom in their respective fields. Both use their powers with mutual adjustment, respect and coordination.

- Though sometimes there has been clash of interest between the Center and the State yet the solutions have been possible in keeping with the spirit of federal structure. Several times disputes and tension occur on many issues between the center and states but one or the other solution has been found.

- In order to prevent these disputes and conflict of interest, Center has been made powerful under our federal structure. Our Constitutional makers had also stressed on a strong Center. The Constitution makers were aware of the fact that many disparities could occur because of our social, economic and geographical diversity. However, "the unity in diversity" of the country must be ensured.

- After the Independence we had resolved to bring about revolution in the social, economic sector and to transform Indian Society for fulfilling the basic needs of the common man.

- Keeping in mind these views and commitments, the constitution framers had set up Indian Federal Structure with a strong Center. It had been accepted in different judicial decisions that our constitution makers had given us a strong center with the federal structure so that the country could face any challenge to its unity and integrity. The Sarkaria Commission has also emphasized on the federal spirit of the constitution.

- It is expected from the Center to resolve river water disputes and other issues between the states. The interstate disputes are solved by the Center according to the spirit of the federal

structure. This intervention of Center should not be seen as challenging the federal structure. The UPA government at the Center had constituted a commission under the chairmanship of justice Madan Mohan Punchhi on the subject to review the center-state relations in new perspective, fulfilling its commitment made in the Minimum Common Programme.

- In this way effective arrangements of checks and balances have been made in our constitution. There is a need to further strengthen these checks and balances in the changing circumstances and fulfillment of people's aspirations, inclusive growth, empowerment of common man and to give strength to the weak. According to the doctrine of separation of powers, checks and balances are the practical needs of today.

- This doctrine strengthens the checks and balances of Constitutional Institutions but along with this, we also have to ensure that the system of checks and balances works in a proper way and what new safeguards should be devised to prevent the misuse of powers in the system.

- In constitutional tradition, our Presiding Officers are also the representatives of the people. In democracy all public representatives are responsible to the people. The Presiding Officers have to find solutions to the questions posed before

them in accordance with the rules and procedures of the Constitution keeping in mind the larger perspective. The Presiding Officers have to take decision according to the parliamentary traditions and in accordance with constitution instead of the party policies and views.

- The Presiding Officers are elected on the basis of their long public life and experience as a public representative whether they are associated with any political party. From this point of view, the experiences so far have proved to be positive. The parliamentary tradition should remain healthy and strong, this is the spirit of democracy.

- I got the opportunity to represent my constituency in Lok Sabha five times and also as the member of Union Council of Ministers. Similarly I have got the opportunity twice to represent as the Leader of the House in the Rajasthan State Assembly. I have experienced that the Presiding Officers at both the levels remained committed in following parliamentary traditions, running the House and legislative practices. The credit goes to the Presiding Officers for the faith which the people have in democracy or the respect which the world has in it. This credit also goes to them because they are aware of the constitutional system of checks and balances.

- In both the Houses of Parliament, Legislative Bodies or any House of Legislative Assembly, if the Presiding Officers and the Hon'ble Members play a decisive role in selecting important subjects of public interest for debate, maintaining parliamentary traditions, functioning of House and taking part in debate, than healthy traditions of democracy are maintained and are also strengthened. Sometimes such situation occurs when the proceedings of the House gets disrupted. In such a situation we seem to be drifting from our responsibility entrusted to us by the people of the country and the state. We must remember that election process is not democracy in itself but after the election we are on the real test of democracy.

- As the decision of a Council of Ministers is a collective responsibility, in the same way the decision of Legislative Assembly, Legislative Body or Parliament is also collective responsibility. It is my belief that the conduct of the Members with this spirit would never weaken the constitutional system of checks and balances. If we strengthen this feeling, democracy would also be strengthened and the faith of the people in democracy would also enhance.

- The chair has no less powers. The rulings of the chair are in the larger interest of the society and if their compliance is

ensured then the prestige of the House also increases. While exercising these rights it is ensured that the constitutional system of checks and balances is maintained.

- The Houses of Parliament and Legislative Assemblies are considered as the temples of democracy and as such it is the foremost duty of the House to maintain its dignity. The Hon'ble Members can discharge this responsibility through their conduct, their home work, selection of important subjects and solid arguments and on the basis of their views expressed according to the legislative decorum. The Members have been discharging this responsibility and its need will always be there. The great personalities who have adorned the office of speaker in Parliament and Legislative Assemblies have not only enhanced the dignity of the House but have further strengthened it. They have set new ideals and achieved new heights with their role. I am hopeful that such traditions will continue to be followed in the coming years.

- In the end I once again extend hearty welcome to all the dignitaries and express my sincere gratitude to the Speaker of Lok Sabha for giving me the opportunity to inaugurate the symposium.

Thanking you, Jai Hind.